

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक : 438/521/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 2014
प्रति,

✓ समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश ।

विषय- संभागीय स्तर पर पेंशनरों को सूचना तथा सहायता के लिए गठित समिति को सक्रिय किए जाने बाबत ।

संदर्भ- वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 120/आर-121/चार/पेंक/91 दिनांक 12 मार्च 1991.

* ❖ *

संदर्भित पत्र द्वारा संभागीय स्तर पर पेंशनरों को सूचना तथा सहायता एवं उनकी समस्याओं के निदान के लिए कम से कम छः माह में एक बार बैंकों, जिला कोषालय अधिकारी/कर्मचारी तथा पेंशनरों के प्रतिनिधियों की बैठक संभाग आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित किसी वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना निर्धारित है । विभिन्न पेंशनर संघों द्वारा ध्यान में लाया गया है कि उक्त समिति की नियमित बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है ।

2/ अतः उपर्युक्तानुसार बैठक के नियमित आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने तथा तदनुसार संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा 26 किसान भवन अरेरा हिल्स, भोपाल को अवगत कराने का अनुरोध है ।




(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 2014

पृ.क्रं. 439/521/2014/नियम/चार
प्रतिलिपि,

1. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. समस्त संभागीय पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग